



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985

भाद्रपद 1, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1509 / सग्रह-वि-1-1(क)-13-1985

लखनऊ, 23 अगस्त, 1985

अधिसूचना विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 21 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

फलदार वृक्षों का संवर्द्धन करने और उनके समीपस्थ इंट के मट्टों या अन्य हानिप्रद अधिष्ठानों के कारण होने वाले पादप रोगों से उनका संरक्षण करने के लिए, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 15 मई, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "ईंट का भट्टा" का तात्पर्य किसी भट्टा से है जहां ईंट पकाई जाती हो और जिसमें ईंधन के प्रयोजन के लिये हार्ड कोक, साफ्ट कोक, स्लैक कोल या किसी अन्य प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत देशी प्रकार का ईंट का भट्टा नहीं है जिसमें लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जाता है;

(ख) "अन्तस्थ परिक्षेत्र" का तात्पर्य फल पट्टी के संबंध में, ऐसी फल पट्टी के चारों ओर और समानान्तर तीन किलोमीटर के परिक्षेत्र से है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य उद्यान कर्म एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(घ) "बाग" का तात्पर्य ऐसे भू-खण्ड से है जिस पर फलदार वृक्ष इतनी संख्या में लगाये गये हों कि उन वृक्षों के कारण वह भूमि या उसका अधिकांश भाग मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जाता है या उनके पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर नहीं लाया जायगा, और इसके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पौधों के विकास के लिये पौधशाला भी है।

(ङ) "हानिप्रद अधिष्ठान" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(एक) ईंट का भट्टा;

(दो) कारखाना, कर्मशाला या अन्य अधिष्ठान जिसमें उसकी भट्टी में ईंधन के प्रयोजनों के लिये कोयले या लकड़ी के कोयले से भिन्न कोयले का उपयोग किया जाता है, और जिसमें से धुआं निकलता है या जो धुआं निकलने का कारण है, और जिसमें वस्तुओं का उनके उपयोग, परिवहन या विक्री के दृष्टिकोण से निर्माण, प्रसंस्करण, अनुकूलन या उत्पादन किया जाता है और जिसमें वर्ष में किसी भी दिन दस या अधिक कर्मकार सेवायोजित किये जाते हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत होटल, रेस्तरां या अन्य आहार स्थल नहीं है;

(च) "आवास योजना" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऐसे किसी आवास या उपनिवेश योजना या कार्यकलाप से है जिसका उद्देश्य विक्री या किराये पर देने के प्रयोजनार्थ एक से अधिक आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण का हो और इसके अन्तर्गत आवासिक या अन्य भवनों के निर्माण के लिये पट्टे पर देने या भूखण्ड (प्लॉट) के रूप में विक्री के लिये किसी भूमि का विकास करने की कोई योजना भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी या पट्टाधृत भूमि पर अपने वैयक्तिक उपयोग और अध्यासन के लिये भवन का निर्माण करना नहीं है;

(छ) "फल पट्टी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किसी क्षेत्र से है;

(ज) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के संबंध में उस व्यक्ति से है जिसका हानिप्रद अधिष्ठान या आवास योजना के कार्य-कलाप पर अन्ततोगत्वा नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत उसका स्वामी या प्रबन्धक भी है।

फल पट्टी की घोषणा

3—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में फलदार वृक्ष के संवर्द्धन और संरक्षण और उनके उत्पादन के लिये हानिप्रद अधिष्ठानों को चलाने को और वहां पर और उसके समीप किसी आवास योजना के कार्यान्वयन को विनियमित और निर्बन्धित करना, लोक-हित में आवश्यक और समीचीन है तो वह उपधारा (2) से (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमायें विनिर्दिष्ट कर सकती है और उसे ऐसे दिनांक से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, फल पट्टी घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के पूर्व, गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसा करने के अपने अभिप्राय को अधिसूचित करेगी और प्रस्तावित घोषणा के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आपत्ति और सुझाव ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे निदेशक को सम्बोधित किया जायेगा जो उसे उस पर अपनी टीका-टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी और तदुपरान्त उपधारा (1) के अनुसार उस क्षेत्र को उसकी सीमा में ऐसे परिवर्तन सहित या रहित, जैसा वह उचित समझे, ऐसा क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कर सकती है।

फल पट्टी में उद्यान

4—राज्य सरकार, जहां वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाय, और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट

दिनांक से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट फल पट्टी में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या किसी क्षेत्र को उससे अपवर्जित कर सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाही करने में, धारा 3 की उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

5—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर सप्रभावी किसी अधिदा, अनुदान या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन फल पट्टी की घोषणा के दिनांक को या उसके पश्चात्—

(एक) ऐसी फल पट्टी या उसके अन्तर्गत परिक्षेत्र में न तो किसी हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना करेगा और न उसे चलायेगा; या

(दो) राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित रीति से प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ऐसी फल पट्टी में किसी आवास योजना को कार्यान्वित नहीं करेगा।

हानिप्रद अधिष्ठान चलाने या आवास योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिषेध

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रतिषिद्ध करती है कि वह फल पट्टी की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में किसी हानिप्रद अधिष्ठान को, जो ऐसी घोषणा के दिनांक के पूर्व स्थापित किया गया हो, चलाता रहे।

(3) इस धारा की कोई बात उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रकृत अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों पर लागू नहीं होगी।

6—(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, उसे साधारण कारावास का जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिया जायेगा।

(2) प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अनिम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

7—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

शास्ति

कम्पनी द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्बन्ध तत्परता वरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) "निदेशक" का किसी फर्म के संबंध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

8—(1) धारा 6 और 7 में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, आदेश द्वारा, उसे—

(क) हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने या ऐसी रीति से जैसी फल पट्टी के संरक्षण के लिये आवश्यक हो, उसके संचालन को विनियमित करने का निदेश दे सकता है;

(ख) धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके हानिप्रद अधिष्ठान की स्थापना या निर्माण या किसी आवास योजना के निष्पादन को बन्द करने या रोकने का निदेश दे सकता है :

हानिप्रद अधिष्ठान को हटाने और आवास योजना के निष्पादन को रोकने की शक्ति

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसने निदिष्ट व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अपेक्षित अवधि के भीतर अनुपालन न किया जाय, वहाँ कलेक्टर तदुपरान्त हानिप्रद अधिष्ठान को, यथास्थिति, हटवायेगा या विनियमित करायेगा, या ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी उक्त आदेश के अनुपालन के लिये आवश्यक हो, और इस योजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो ;

(3) कलेक्टर उपधारा (2) के अधीन आदेश के निष्पादन में उपगत व्यय को खर्चा की भाँति भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करेगा।

आयुक्त को अपील

9--कोई व्यक्ति जो धारा 8 के अधीन किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से एक मास के भीतर अधिकारितायुक्त आयुक्त को विहित रीति से अपील कर सकता है और अपील पर आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति

10--(1) कलेक्टर या निदेशक या इनमें से किसी एक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सर्वेक्षण करने या माप लेने या ऐसा कोई अन्य कार्य करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या किसी आवास योजना स्थल पर, सभी व्यक्तिव्यक्त समय पर प्रवेश कर सकता है।

(2) किसी व्यक्ति को जो उपधारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को किसी हानिप्रद अधिष्ठान में या किसी आवास योजना स्थल पर प्रवेश करने में बाधा डालता है या इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है, साधारण कारावास का जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माना का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिया जायगा।

सतिपूति

11--इस अधिनियम के अधीन संस्मावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

राज्य सरकार की छूट देने या छूट वापस लेने की शक्ति

12--(1) राज्य सरकार, लोक-हित में, या अत्यधिक कष्ट के मामले में, गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह इस निमित्त आरोपित करे, किसी आवास योजना या हानिप्रद अधिष्ठान को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी छूट को, इसी प्रकार गजट में अधिसूचना द्वारा, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, पूर्णतः या अंशतः वापस ले सकती है।

परन्तु किसी छूट को वापस नहीं लिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में छूट दी गयी हो, सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

13--(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे उपांतर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

14--राज्य सरकार [इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

15--(1) उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1985 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 1509(2)/XVII-V-1-1-(KA)-13-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Phaldar Vrikshon Ka Samvardhan Aur Sanrakshan (Haniprad Adhisthan Aur Awas Yojna Viniyaman) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 21, 1985.

THE UTTAR PRADESH PROMOTION AND PROTECTION OF FRUIT TREES (REGULATION OF HARMFUL ESTABLISHMENTS AND HOUSING SCHEMES) ACT, 1985

[U. P. ACT No. 18 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the promotion of fruit trees and their protection from plant diseases caused by the existence of brick-kilns or other harmful establishments in vicinity, and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Promotion and Protection of Fruit Trees (Regulation of Harmful Establishments and Housing Schemes) Act, 1985.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 15, 1984.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

Definitions.

(a) 'brick-kiln' means any kiln at which bricks are baked and in which hard coke, soft coke, slack coal or any other kind of coal is used for fuel purposes but does not include an indigenous type of kiln in which wood coal is used;

(b) 'Buffer zone' in respect of a fruit belt means an area of 3 kilometres on all sides of and parallel to such fruit belt;

(c) 'Director' means the Director of Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh appointed as such by the State Government;

(d) 'Grove' means any piece of land having fruit trees, planted thereon in such number that they preclude or when full grown will preclude the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and includes a nursery for growing plants of such trees;

(e) 'harmful establishment' means—

(i) brick-kiln,

(ii) factory, workshop, or other establishment which uses coke or coal other than wood coal for fuel purposes, in its furnace which emits or causes emission of smoke, and in which articles are manufactured, processed, adapted or produced with a view to their use, transport, or sale and which employs ten or more workers on any day in a year, but does not include hotel, restaurant or other eating places;

(f) 'housing scheme' means any housing or colonization scheme or activity by a person designed to construct more than one residential or other buildings for purposes of sale or letting and includes any scheme for development of any land for lease or sale as plots of land for construction of residential or other buildings, but does not include construction of a building by a person on his own or lease-hold land for his personal use and occupation;

(g) 'fruit belt' means an area declared as such under section 3 by the State Government;

(h) 'occupier' in relation to a harmful establishment or a housing scheme means the person who has ultimate control over the affairs of the harmful establishment or the housing scheme and includes the owner or manager thereof.

Declaration of
Fruit belt.

3. (1) If the State Government is of opinion that for the promotion and protection of fruit trees and their produce in any area it is necessary and expedient in the public interest to regulate and restrict running of harmful establishments and carrying on of any housing scheme therein and in its vicinity, it may subject to the provisions of sub-sections (2) to (4) by notification in the *Gazette*, specify the boundaries of such area and declare it to be fruit belt with effect from such date as may be specified therein.

(2) The State Government shall, before declaring any specified area to be fruit belt under sub-section (1), by notification in the *Gazette*, and in such other manner as may be prescribed, notify its intention so to do and invite objections and suggestions in regard to the proposed declaration.

(3) Any objections and suggestions under sub-section (2) may be preferred within such period as may be prescribed and shall be addressed to the Director, who shall forward the same, with his comments thereon, to the State Government.

(4) On the expiry of the period, referred to in sub-section (3), the State Government shall consider the objections and suggestions received within the said period and may thereupon proceed in accordance with sub-section (1) to declare such area with or without such changes in its boundary as it may deem fit.

Modification in
fruit belt.

4. The State Government, where it considers necessary and expedient in the public interest so to do, may, by notification in the *Gazette*, and in such other manner as may be prescribed and with effect from the date specified in the notification include any area in or exclude any area from the fruit belt specified in the notification under sub-section (1) of section 3:

Provided that in taking action under this section, the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 3 shall *mutatis mutandis* apply.

Prohibition
against running
harmful estab-
lishments or
carrying out of
housing schemes

5. (1) Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, or in any contract, grant or other instrument having effect by virtue of such law, no person shall, on or after the date of declaration of a fruit belt under section 3—

(i) instal or run any harmful establishment within such fruit belt or buffer zone thereof, or

(ii) without the permission of the State Government or of an officer authorised by the State Government in this behalf, in the manner prescribed, carry out any housing scheme within such fruit belt.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed to prohibit a person from continuing to run during a period of one year from the date of declaration of a fruit belt any harmful establishment installed from before the date of such declaration.

(3) Nothing in this section shall apply to the industries specified in the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

Penalty.

6. (1) Whoever contravenes the provisions of section 5 shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

(2) No court inferior to the court of a Judicial Magistrate of first class shall try any offence punishable under this Act.

Offences by
companies.

7. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager or other officer of the company, such director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purpose of this section—

(a) 'company' means any body corporate, and include a firm or other association of individuals, and

(b) 'director' in relation to firm, means a partner in the firm.

8. (1) Notwithstanding anything contained in section 6 and section 7 the Collector may, on being satisfied that there has been contravention of the provisions of section 5 by any person, direct him by order—

Power to remove harmful establishment and to stop execution of housing scheme

(a) to remove the harmful establishment or to regulate its running in such manner, as may be necessary for the protection of the fruit bet;

(b) to discontinue or stop installation or construction of harmful establishment or execution of any housing scheme in contravention of the provisions of section 5:

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person referred to therein has been given an opportunity of being heard.

(2) Where the order issued under sub-section (1) is not complied with within the required period, the Collector shall thereupon cause the harmful establishment to be removed or regulated, as the case may be, or take such action as may be necessary for the compliance of the said order and may for that purpose use or cause to be used such force, as may be necessary.

(3) The Collector shall recover the expenses incurred in execution of the order under sub-section (2) from the occupier as arrears of land revenue.

9. Any person aggrieved by an order under section 8 may, within one month from the date of the communication to him of such order, prefer an appeal in the manner prescribed to the Commissioner having jurisdiction and the order of the Commissioner on appeal shall be final.

Appeal to Commissioner

10. (1) The Collector or the Director, or any officer authorised by any one of them may, at all reasonable times enter into or upon any harmful establishment or site of any housing scheme, in order to survey or take measurements or to do any other act which may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

Power of entry and inspection

(2) Any person who obstructs the entry of a person empowered under sub-section (1) to enter into or upon any harmful establishment or site of any housing scheme, or molests such person after such entry shall be punished with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Indemnity

12. (1) The State Government may, in public interest, or in a case of extreme hardship by notification in the *Gazette*, exempt in the manner prescribed and subject to such terms and conditions as it may impose in this behalf any housing scheme or harmful establishment wholly or in part from the operation of all or any of the provisions of this Act.

Power of State Government to exempt or to withdraw exemption

(2) The State Government may, likewise by notification in the *Gazette* withdraw in whole or in part permanently, or for such period as may be specified, any exemption granted under sub-section (1):

Provided that exemption shall not be withdrawn unless the person in whose favour the exemption had been granted has been given an opportunity of being heard.

Power to
remove difficulty

13. (1). The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Power to make
rules.

14. The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal
and
saving.

15. (1) The Uttar Pradesh Promotion and Protection of Fruit Trees (Regulation of Harmful Establishments and Housing Schemes) Ordinance, 1985 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sāchiv.

U.P. O
nance
no. 5 of